भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2561

(19 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्व-सहायता समूहों के लिए ड्रोन

2561. श्री नलीन कुमार कटील:

श्री पी.सी. मोहन:

श्री डी.के. सुरेश:

श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार कृषि और संबंधित प्रयोजनों के लिए महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को पंद्रह हजार ड्रोन प्रदान करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो उक्त पहल के उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) स्व-सहायता समूहों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या कृषि संबंधी सूचना की निगरानी और विश्लेषण के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी हाँ, भारत सरकार ने हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यू.एस.एच.जी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कृषि कार्यों (उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग) के लिए किसानों को

किराये पर सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।

(ख): दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) दिशानिर्देशों के अनुसार "ए" ग्रेड वाले डब्ल्यू.एस.एच.जी का चयन ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इन ग्रेड 'ए' डब्ल्यू.एस.एच.जी का चयन राज्यों द्वारा मिर्च, कपास, धान, गेहूं, बागान और वृक्षारोपण आदि जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाने वाले गांवों के समूहों से किया जाएगा।

(ग): वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पहचाने गए 15,000 एसएचजी में से प्रत्येक को एक ड्रोन वितरित करने के लिए इस परियोजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

(घ): जी नहीं।